न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 308/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/509

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
तगूदेवी पुत्री चुनाराम पत्नि सीताराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा हाल मेघवालो का बास,बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.दूदाराम पुत्र चूनाराम 2.गवरीदेवी पत्नि चूनाराम 3.अचलाराम पुत्र डायाराम 4.अर्जुनराम पुत्र डायाराम 5.डूंगरराम पुत्र डायाराम 6.अमराराम पुत्र घूंगाराम 7.आबाराम पुत्र घूंकाराम 8.दलाराम पुत्र धूंकाराम 9.भगाराम पुत्र घूंकाराम 10.सोमादेवी पत्नि धूंकाराम 11.कमलेश पुत्र देदाराम 12.गंगाराम पुत्र देदाराम 13.जितेन्द्र पुत्र देदाराम 14.रामाराम पुत्र देदाराम 15.हिन्दूराम पुत्र देदाराम 16.डामरराम पुत्र देदाराम 17.ददादेवी पत्नि देदाराम 18.गीगा पुत्र नवाराम 19.गोकलराम पुत्र वनाराम जाति मेघवाल निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा 20.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थीनी

2.श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता विप्रार्थी 1 से 18

3. विप्रार्थी संख्या 19 व 20 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक– 25.6.2025

1.संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की ओर से मूलवाद बाबत खातेदारी घोषणा,बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है,जिसमे उल्लेखित किया कि मुतवफी चैनाराम व उसके भाईयो की सहखातेदारी भूमि ग्राम आसोतरा की खसरा संख्या 775,778,847,851 कुल रकबा 21.18 बीघा व खसरा संख्या 1470,6479,2346/1470 कुल रकबा 94.17 बीघा भूमि अवस्थित थी,जिसमे 1/2 हिस्सा नैनाराम के परिवार का व 1/2 हिस्सा कोलाराम के परिवार का था। प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 01 भाई–बहन है व विप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थीनी की माता है। इस प्रकार प्रार्थीनी चूनाराम की विधिक वारिसान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि मे प्रार्थीनी के जन्म से ही खातेदारी हक पैदा हो गए थे। प्रार्थीनी के पिता चूनाराम के फौत होने पर विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ प्रार्थीनी का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था,लेकिन प्रार्थीनी को उसके हक हकूको से महरूम रखते हुए विवादित भूमि मे प्रार्थीनी का नाम दायर नही किया गया,जबकि प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन विवादित भूमि मे प्रार्थीनी का नाम नही होने के कारण विप्रार्थी प्रार्थीनी को मौके से बेदखल करने की कोशिश करते रहते है तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू है। अतः प्रार्थीनी द्वारा मूलवाद के निर्णय तक विवादित आराजी की राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरीए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता द्वारा मूलवाद मे प्रतिवादी/विप्रार्थी संख्या 1 से 18 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा आवेदन–पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा विप्रार्थी संख्या 19 व 20 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी ने विप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा,बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं,जिसमें प्रार्थीनी को सफल होने की पूरी संभावना है,कि मुतवफी चैनाराम व उसके भाईयो की सहखातेदारी भूमि ग्राम आसोतरा की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 775,778,847,851 कुल रकबा 21.18 बीघा व खसरा संख्या 1470,6479,2346/1470 कुल रकबा 94.17 बीघा भूमि अवस्थित थी,जिसमे 1/2 हिस्सा नैनाराम के परिवार का व 1/2 हिस्सा कोलाराम के परिवार का था। बाद मे भाई बंटवाड़े मे प्रार्थीनी के पिता चूनाराम की खातेदारी भूमि के नए खसरान कायम हुए,जो आवेदन पत्र मे वर्णित किए गए है। प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 01 भाई–बहन है व विप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थीनी की माता है। इस प्रकार प्रार्थीनी चूनाराम की विधिक वारिसान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि मे प्रार्थीनी के जन्म से ही खातेदारी हक पैदा हो गए थे। प्रार्थीनी के पिता चूनाराम के फौत होने पर विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ प्रार्थीनी का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था,लेकिन प्रार्थीनी को उसके हक हकूको से महरूम रखते हुए विवादित भूमि मे प्रार्थीनी का नाम दायर नही किया गया,जबकि प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ववादित भूमि मे प्रार्थीनी का नाम नही होने के कारण विप्रार्थी प्रार्थीनी को मौके से बेदखल करने की कोशिश करते रहते है तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थीनी के पक्ष में स्थगन आदेश को जारी किया जाना आवश्यक है,यदि स्थगन आदेश जारी नही किया जाता है,प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं होगी। इस प्रकार प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में बनतें है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक स्थगन आदेश जारी किया जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थीनी ने विप्रार्थी के विरूद्व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है,क्योकि प्रार्थीनी विप्रार्थी संख्या 01 की न तो बहन है और न ही विप्रार्थी संख्या 02 की पुत्री है। प्रार्थीनी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है। प्रकरण मे दर्शाया गया सजरा भी गलत बताया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीनी का विवादित आराजी मे कोई हक हकूक नही है और न ही प्रार्थीनी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है। चुनाराम के फौत हुए लगभग 30 वर्षो से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है,इतने वर्षो तक प्रार्थीनी द्वारा विवादित आराजी के संबध मे कोई चाराजोही नही की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनी का विवादित आराजी में कोई हक निहित नही है। विवादित आराजी के विप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड होने के उपरांत भी स्थगन आदेश जारी किया गया है। जिसके कारण विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है,इस कारण प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में नही बनकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5.हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2906/778,3003/847,3446/1470 भूमि पर प्रार्थीनी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक जारी किया जा सकता है अथवा नही। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6.(1) सर्वप्रथम प्रथम द्रष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है,के संबध में विवेचन किया जा रहा है,जिसमें पाया कि मूलवाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर प्रार्थीनी पक्ष द्वारा मुख्य उजर उठाया कि विवादित भूमि पुश्तैनी है,प्रार्थीनी मुतवफी चूनाराम की विधिक वारिसान होने के कारण अपना हक हिस्सा खातेदारी मे घोषित करवाने की हकदार है,ऐसी स्थिति मे दौराने विचारण वाद विवादित भूमि मे रेकर्ड एवं मौका स्थिति मे फेरबदल नही हो,इस कारण स्थगन आदेश जारी किया जावे। इसके विपरीत विप्रार्थी पक्ष द्वारा मुख्य उजर उठाया गया कि प्रार्थीनी मुतवफी चूनाराम की विधिक वारिसान नही है,इस कारण स्थगन आदेश प्राप्त करने की हकदार नही होने के कारण आवेदन खारिज किया जावे।

इस प्रकार दोनो पक्षो के अपने अपने उठाए गए उजर–एतराज के आधार पर न्यायालय हाजा के सामने मुख्य विवाद का बिन्दु सामने यह आया है कि क्या विवादित भूमि पुश्तैनी है तथा प्रार्थीनी मुतवफी चूनाराम की जायन्दा पुत्री है अथवा नही। उक्त बिन्दु का निस्तारण हस्तगत प्रकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता है,क्योकि मुख्य विवाद के बिन्दु का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है,लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है,क्योकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता है,क्योकि रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किए जाने पर क्षति होगी। जबकि प्रार्थीनी विवादित भूमि की खातेदार भी नही है,तो उन्हे क्षति होनी की संभावना भी नही रहती है। ऐसी परिस्थिति में हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीनी के पक्ष में नही बनता है।

6(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में नही बनता है,क्योंकि विवादित आराजी के संबध में प्रार्थीनी/वादीनी का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा,बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत लाया गया है,जो कि निर्णय मूलवाद में तय किया जावेगा। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नही मानता है,क्योकि विप्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार होने के कारण सुविधि का संतुलन भी उसे पक्ष मे बनता है,न कि प्रार्थीनी के पक्ष मे। इस कारण सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष मे नही बनता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) आसोतरा

6(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में नही बनता है,क्योंकि प्रथम द्रष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी अपनी पक्ष में साबित करने में असफल रही है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित नही है, क्योकि यदि स्थगन आदेश को जारी किया जाता है,तो विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी,न की प्रार्थीनी को। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी स्थगन आदेश प्राप्त करने की हकदार नही है। इस कारण अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है।

7.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थीनी के पक्ष मे नही बनते है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीनी का आवेदन खारिज योग्य है।

:आदेश:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25.6.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

25/06/25

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा